

भारत सरकार का संकल्प

दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लाखों परिवारों के लिए
अपने घर का मालिकाना हक

पीएम-उदय

प्रधानमंत्री-अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना
PM - Unauthorised Colonies in
Delhi Awas Adhikar Yojana (PM-UDAY)

“पीएम-उदय सिर्फ एक योजना भर नहीं है,
यह लाखों दिल्लीवासियों के लिये
अपने घर और बेहतर जीवन का भरोसा है”

- नरेन्द्र मोदी



दिल्लीवासियों की सेवा में तत्पर
सिंगल विंडों कैम्पों की अवधि अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है

31 मार्च 2025 तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को विशेष शिविर

- स्वीकृत मामलों के AS/CD का निष्पादन
- निष्पादित AS/CD को रजिस्टर करने की सुविधा
- डीडीए अधिकारियों के अलावा Sub-Registrar की मौजूदगी
- मौजूदा आवेदनों में लंबित कमियों को दूर करने में विशेष सहायता
- आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आई-बांड, नोटरीकरण तैयार करने में सहायता
- पंजीकृत हुए निवासियों को आवेदन भरने में सहायता
- नए पंजीकरण और GIS सर्वेक्षण में सहायता

विस्तृत जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट

https://dda.gov.in/pm-uday/single_window_camp पर जाएं



दिल्ली विकास प्राधिकरण

विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली

Follow us on [Facebook](#) @ddaofficial [Twitter](#) @official_dda [Instagram](#) @official_dda_

तिथि और स्थान
की जानकारी
के लिए QR Code
स्कैन करें

